न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
246/2019 (RCMS 2019/00045)	28.06.2019	20.09.2019

अनवान

1. प्रहलाद पिता गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
2. भारत पिता गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
3. लक्ष्मण पिता गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
4. धापू पत्नि गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
5. शान्ता बाई पुत्री गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
6. दुर्गा पुत्री गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
7. शम्भुडी पुत्री गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क समस्त निवासीयान मीणों का कंथारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता नंदा मीणा
2. भैरूलाल पिता नाथु मीणा
3. गंगाराम पिता सुरजा मीणा उम्र वयस्क समस्त निवासीयान मीणों का कंथारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. गुड्डी पत्नि लक्ष्मण मीणा निवासी चामटीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. भगवतसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी चौथपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री आरसी शर्मा	प्रार्थी।
	एक तरफा	अप्रार्थीगण
	पेरोकार सरकार	अप्रार्थी संख्या 6

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी गण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मीणों का कंथारिया पटवार हल्का जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 98, 116, 158 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 398, 396, 397, 395 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता हैं अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 09.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 20.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 5 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार सरकार हाजिर।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को एक तरफा सुना गया। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता है कि मौजा मीणों का कंथारिया पटवार हल्का जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 98, 116, 158 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 398, 396, 397, 395 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को **20.09.2019** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(246)2019/20.09.2019/ दिनांक 20 सितम्बर, 2019

निमित,

तहसीलदार,
चित्तौड़गढ़

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. प्रहलाद पिता गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
2. भारत पिता गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
3. लक्ष्मण पिता गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
4. धापू पत्नि गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
5. शान्ता बाई पुत्री गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
6. दुर्गा पुत्री गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क
7. शम्भुडी पुत्री गोवर्धन जाति मीणा उम्र वयस्क समस्त निवासीयान मीणों का कंथारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता नंदा मीणा
2. भैरूलाल पिता नाथु मीणा
3. गंगाराम पिता सुरजा मीणा उम्र वयस्क समस्त निवासीयान मीणों का कंथारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. गुड्डी पत्नि लक्ष्मण मीणा निवासी चामटीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. भगवतसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी चौथपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थीगण

प्रकरण संख्या :- 246/2019

(RCMS 2019/00045)

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थर गढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 800/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **मीणों का कंथारिया** पटवार हल्का **जालमपुरा** तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 98, 116, 158 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या **398, 396, 397, 395** कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official